म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक/बोर्ड लेखा/कि0 स0 नि0/21-22/ 3235 भोपाल दिनांक 28-02-2022

प्रति

संयुक्त संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचलिक कार्यालय....(समस्त).........

विषय: अवशेष विपणन विकास निधि भेजने बाबत।

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियो के द्वारा प्रतिमाह भेजी जाने वाली विपणन विकास निधि (किसान सडक निधि कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि गौ संवर्धन निधि एवं प्रचार प्रसार निधि तथा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि) कतिपय मंडी समितियो के द्वारा नियमित रूप से नही भेजी जाती अथवा भेजी ही नही जाती है परिणामस्वरूप लाखो रूपयो की राशि इस निधि की प्राप्त होना शेष है। मंडी समितियो के द्वारा विपणन विकास निधि नही भेजने के संबंध मे प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अंसतोष व्यक्त किया गया है।

यह भी देखने मे आया है कि किसान सडक निधि कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि गौ संवर्धन निधि एवं प्रचार प्रसार निधि तथा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि की राशि मुख्यालय के खाते मे NEFT/RTGS से अंतरित तो कर दी जाती है किन्तु मेल अथवा डाक के माध्यम से अवगत नही कराया जाता है एवं NEFT/RTGS से अंतरित की जाने वाली राशि मंडी समिति के बैंक खाते से तत्काल डेबिट तो कर दी जाती है जबकि बैंक के सर्वर/तकनीकी खराबी के कारण संबंधित बैंक के प्रधान कार्यालय मे सस्पेंस एकाण्उट मे पडी रहती है। जिससे राशि का मिलान नही हो पाता है। मंडी समिति के खाते से राशि कम होने से यह मान लिया जाता है कि राशि मुख्यालय को अंतरित की जा चुकी है किन्तु मुख्यालय के खाते मे राशि प्राप्त ही नही हुयी है जिसके कारण मंडी समिति एवं मंडी बोर्ड को ब्याज की हानि होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि माह फरवरी 2022 की स्थिति मे विगत वर्षो की अवशेष विपणन विकास निधि सहित राशि दिनांक **10-03-2022** तक अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे एवं संभाग की मंडी समितियो की जानकारी संकलित कर निर्धारित समयावधि मे भेजे। विगत वर्षो की अवशेष विपणन विकास निधि की मंडीवार समीक्षा प्रंबध संचालक महोदय के द्वारा माह मार्च 22 की वीडियो कांफ्रेस मे की जावेगी। अतःइसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न: जानकारी का निर्धारित प्रारूप

(दिनेश द्विवेदी)

अपर संचालक वित्त

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक /बोर्ड लेखा/कि0 स0 नि0/21-22/ 3236 भोपाल दिनांक 28-02-2022

प्रतिलिपीः

सचिव कृषि उपज मंडी सिमति ....जिला .... को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अवशेष विपणन विकास निधि दिनांक 10-03-2022 तक अनिवार्य रूप से भेजते हुये मेल अथवा डाक के माध्यम से अनिवार्यरूप से अवगत करावे।

अपर संचालक वित्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

विपणन विकास निधि का विवरण पत्रक

मण्डी समिति का नाम–   जिला–

प्रेषित राशि का बैंक खाता कमांक–**151001956716**   प्रपत्र–01

वर्ष– 2021–2022

क.	माह	देय विपणन विकास निधि	भेजी गई राशि	यू.टी.आर. कं.	दिनांक	रिमार्क
	विगत वर्ष का अवशेष राशि					
1	अप्रैल 21					
2	मई 21					
3	जून 21					
4	जुलाई 21					
5	अगस्त 21					
6	सितम्बर 21					
7	अक्टूबर 21					
8	नवम्बर 21					
9	दिसम्बर 21					
10	जनवरी 22					
11	फरवरी 22					
12	मार्च 22					
	योगः–					

नोटः–1.भेजी गई राशि का यू.टी.आर. कं.एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित करे।

2.जानकारी तैयार कर MS EXCEL SHEET मे ही भेजे।

संयुक्त संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचलिक कार्यालय–